शुल्क निर्धारण एवं अवस्थापना विकास फण्ड

उत्तर प्रदेश सरकार

नगर विकास अनुभाग–7

संख्या 2883 ए/9–7–98–49 ज–98

लखनऊ : दिनांक : 27 जुलाई, 1998

//कार्यालय ज्ञाप//

नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में अपेक्षित स्तर की अवस्थापना सुविधाएं/सेवाएं उपलब्ध कराने तथा समेकित विकास के लिए ''नगरीय अवस्थापना विकास निधि'' (अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फण्ड) की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार श्री राज्यपाल नें सहर्ष निर्देशित किया है कि :

1. प्रदेश के सभी स्थानीय निकायों, नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में ''अवस्थापना विकास निधि'' की स्थापना की जाए। इस निधि का वित्त पोषण प्रस्तर (4) में उल्लिखित राजस्व प्राप्तियों से किया जाए।

2. स्थानीय निकाय स्तर पर गठित इस निधि के खातों का संचालन नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों की स्थिति में जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित पालिका के अधिशाषी अधिकारी द्वारा किया जाएगा। नगर निगम स्तर पर खाते का संचालन सम्बन्धित मण्डलायुक्त एवं मुख्य नगर अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।

3. उक्त निधि के अन्तर्गत योजनाएं प्रस्तुत करने का अधिकार सम्बन्धित स्थानीय निकाय का होगा। लेकिन उनका अनुमोदन आयुक्त/जिलाधिकारी के स्तर पर गठित एक समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें सम्बन्धित विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, जिला नगर विकास अभिकरण के प्रतिनिधि, लोक निर्माण विभाग, जल निगम एवं सम्बन्धित स्थानीय निकाय के अध्यक्ष इसके सदस्य होंगे। यह समिति इस निधि से कराए जाने वाले कार्यों से सम्बन्धित व्ययों की भी अनुमोदित करेगी।

4. उक्त निधि में निम्नलिखित प्राप्तियाँ जमा की जाएगी :–

(क) स्थानीय निकायों की अलाभकारी/अतिक्रमिक/अनुपयोगी भूमि/भवन एवं अन्य ऐसी सम्पत्तियाँ जिनका वर्तमान में एवं आगामी योजनाओं के नियोजन की दृष्टि से इन निकायों को आवश्यकता नहीं है, के विक्रय/निस्तारण से प्राप्त धनराशि।

(ख) पंचम वित्तय आयोग, दशम वित्त आयोग एवं पालिका संसाधनों के बाहर से प्राप्त होने वाली आय के सम्बन्ध में विभिन्न बैंकों द्वारा अर्जित ब्याज।

(ग) विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास परिषद द्वारा मानचित्र की स्वीकृति के समय लिए गये सृदृढ़ीकरण के मद में निकायों को प्राप्त होने वाली धनराशि।

(घ) महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय से निकायों की सीमा में विक्रय पत्रों के निष्पादन के उपरान्त निकाय के हिस्से की धनराशि।

5. निस्तारित किए जाने वाले भवनों का मूल्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधानों के अनुसार पर्याप्त मूल्यांकन के बाद किया जाए एवं यह सुनिश्चित किया जाए कि एक ही स्थान पर स्थानीय निकाय एवं सम्बन्धित प्राधिकरण की सम्पत्तियों के मूल्य में एकरूपता हो। मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में किसी राजस्व अधिकारी का, जो तहसीलदार स्तर से कम न हो, भी अभिमत प्राप्त किया जाए।

6. भूमि के निस्तारण के लिए बाजार मूल्य वही माना जाएगा जो उस समय प्रभावी है और जो जिलाधिकारी द्वारा नियत क्षेत्रीय स्टैम्प दरों के लिए निर्धारित है।

7. सभी भूमि एवं भवन ''जैसा है, जहॉ है, के सिद्धान्त पर निस्तारित किये जायॅ।

8. सम्पत्तियों के निस्तारण में सरकारी विभागों को प्राथमिकता दी जाय। लकिन किसी भी स्थिति में उनका अन्तरण बिना स्थानीय निकायों को अपने भुगतान सुनिश्चित किये बिना न किया जाय।

9. स्थानीय निकाय यह भी सुनिश्चित करें कि किसी ऐसी सम्पत्ति का निस्तारण न कर दिया जाय जिसे भविष्य की योजनाओं के लिए एवं निगम/निकाय के विकास कार्यों के लिए आवश्यकता हो। सम्पत्ति के निस्तारण में पूरी पारदर्शिता बरती जाय एवं पर्याप्त प्रचार/प्रसार के उपरान्त ही अधिकतम दरों पर ही सम्पत्ति का निस्तारण किया जाय।

10. इस निधि से कराये जाने वाले कार्यो के सम्बन्ध में प्रत्येक स्तर पर जन प्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाय।

11. उक्त निधि से सम्पन्न कराये जाने वाले कार्यों में यथा सम्भव प्राथमिकता ऐसे कार्यों को दी जाय जो स्थायी परिसम्पत्तियॉ हों जिनसे निकाय को यथासम्भव नियमित रूप से आय की प्राप्ति हो सके। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार सड़क, मार्ग प्रकाश एवं जल निकासी के पंजीगत कार्य भी सम्पन्न कराये जायें। इस प्रकार की सम्पत्तियों से प्राप्त आय ''नगरीय अवस्थापना विकास निधि'' के अतिरिक्त अन्य निधि में न रखी जाय तथा निधि की आय अन्य किसी मद में न व्यय की जाय।

12. निधि के सम्बन्ध में समय–समय पर शासन स्तर से निर्गत किये जाने वाले शासनादेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

आज्ञा से,
जे0 एस0 मिश्र
सचिव

संख्याः 2883ए/(1)/नौ–7–98–49–ज/98, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. समस्त मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण,उत्तर प्रदेश
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश
3. समस्त मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत,उत्तर प्रदेश
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
6. नगर विकास विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।

आज्ञा से,
चन्द्र प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव